संख्या- 77 / 3099 / चार-2015-252 (बजट)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015 -16 में जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 560 /सं0नि-6(46)/2012-13, दिनांक 11 जून , 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 02/37/चार-2015-252(बजट)/12 दिनांक 14 फरवरी, 2015 के माध्यम से जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु दी गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015 -16 में जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 422.62 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 02/37/चार-2015-252(बजट)/12 दिनांक 14 फरवरी, 2015 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी ।

4 - उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय 2015-16 के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 04- कला तथा संस्कृति- 800- अन्य व्यय- 29- चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 77 /3099 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी सघं लि0 19-ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी सघं लि0, पैकफेड निर्माण प्रखण्ड चित्रकूट धाम बॉदा।
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।